इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019—श्रावण 18, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्र. ई-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस., प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा थाइलेंड की स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन हेतु दिनांक 9 से 12 जुलाई 2019 तक भ्रमण पर जाने हेतु नामांकित किये जाने के अनुक्रम में दिनांक 13 से 15 जुलाई 2019 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्र. ई-1-316-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री इकबाल सिंह बैंस (1985), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
2	श्रीमती सलीना सिंह (1986), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
3	श्री फैज अहमद किदवई (1996), सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.

(2) श्री अशोक शाह (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-317-2019-5-एक.—श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. ई-1-305-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री अमर पाल सिंह (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर
2	श्री रामप्रताप सिंह जादौन (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डीएमआई).	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर

(1)	(2)	(3)
3	श्रीमती प्रीति जैन (2011), प्राचार्य, राजस्व प्रशिक्षण शाला, इन्दौर.	अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल

क्र. ई-1-323-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संदीप जी आर (2013), अपर कलेक्टर, जिला सागर.	अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	सुश्री तन्वी हुड्डा (2014), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला.	—
3	सुश्री ऋजु वाफना (2014), अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.	—
4	सुश्री सलोनी सिडाना (2014), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर.	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्र. ई-1-315-2019-5-एक.—श्री धनराजू एस. भाप्रसे (2009), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार का प्रभार अतिरिक्ति रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. ई-5-765-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख, भाप्रसे (1996), आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 8 मई 2019 तक, दस दिन तथा दिनांक 10 जून से 31 जुलाई 2019 तक, बावन दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 1 से 3 अगस्त 2019 तक, तीन दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस. (2013), अपर कलेक्टर, जिला कटनी (वर्तमान पदस्थापना उपसचिव, मंत्रालय) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा दिनांक 3 से 22 जून 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में अब

उन्हें दिनांक 23 जून से 24 सितम्बर 2019 तक, चौरानवे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. ई-1-320-2019-5-एक.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-04-2019-दस-4, दिनांक 11 जुलाई 2019 द्वारा श्री एम. कालीदुरई, भावसे (1996), मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त की सेवाएं आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ करने हेतु इस विभाग को सौंपी गई है.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एम. कालीदुरई, भावसे (1996), मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-322-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कवीन्द्र कियावत (2000), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री राजीव शर्मा (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा उप प्रशासक, राजधानी परियोजना, भोपाल.	आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल तथा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री राजीव शर्मा द्वारा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग केवल आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 2 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जुलाई एवं 4 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा आयुक्त, महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2019

क्र. ई-1-327-2019-5-एक.—श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-336-2019-5-एक.—श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री गुलशन बामरा, द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार) केवल वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना अयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई.-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी-प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी-प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी-प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. ई-5-959-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2019 एवं 3 जुलाई 2019 की कंडिका-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री फ्रेंक नोबल, भाप्रसे अर्जित अवकाश से लौटने पर नवीन पदस्थापना प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्र. ई-5-978-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 15 से 24 जुलाई 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-991-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल सुचारी, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 17 जून से 6 जुलाई 2019 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 7 से 12 जुलाई 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सुचारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 26 से 29 जून 2019 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2019

क्र. ई-5-939-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग/मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 6 से 21 मई 2019 तक, सोलह दिन तथा दिनांक 26 से 1 जून 2019 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2019

क्र. ई.-5-825-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस., महाप्रबंधक 'कार्मिक' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथोरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल को दिनांक 10 से 13 जून 2019 तक, चार दिन तथा दिनांक 20 से 22 जून 2019 तक, तीन दिन का (कुल सात दिन) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 द्वारा दिनांक 25 जून से 3 जुलाई 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 25 जून से 2 जुलाई 2019 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्र. एफ 1(बी) 50-2019-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में वेतनमान रुपये 56100-177500/- (सॉतवे वेतनमान में लेवल-12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	श्री मयंक तिवारी, वार्ड क्र. 14, गुलाब स्कूल के पास, ग्राम-सकोला, शहर-कोतमा, जिला अनूपपुर, म. प्र.—484334.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, सीधी.
2	02	सुश्री श्वेता शुक्ला, म. नं. 233, आनंद बाग, ईदगाह रोड, राजेन्द्र वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद, म. प्र.—461775.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	03	श्री रोहित राठौर, 92-ए, आदर्श नगर, बीएनपी रोड, देवास, जिला देवास, म. प्र.—455001.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर.
4	04	श्री बिन्दुसार सिंह, माता का चौक, ग्राम व पोस्ट मानहड, तहसील गौरमी, जिला भिण्ड, म. प्र.—477660.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी.
5	05	सुश्री निकिता गोगुलवार, 212, श्री कृष्णा एन्कलेव, ज्योति नगर, भोपाल म. प्र.—462046.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, निवाड़ी.
6	06	सुश्री आकांक्षा बेछोटे, 137/1, देसाई नगर, मक्सी रोड, उज्जैन म. प्र.—456010.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, देवास.
7	07	सुश्री आरती शाक्य, म. नं.-1366, गली नं. 02, शंकराचार्य नगर, भोपाल म. प्र.—462010.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड.
8	08	सुश्री वैशाली सिंह कराहलिया, 150, जीसी स्लाईस-3, स्कीम नं. 78, इन्दौर, म. प्र.—452010.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, शाजापुर.
9	09	श्री राकेश आर्य, ग्राम सेली, पोस्ट वरला, तहसील वरला, शहर सेंधवा जिला बड़वानी, म. प्र.—451666.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, खरगौन.
10	10	सुश्री नीलम बघेल, म. नं. 210, वार्ड क्र. 14, गायत्री कालोनी, कुक्षी जिला धार, म. प्र.—454331.	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन.

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारियों जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2019

क्र. एफ 1-44-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 30 जून 2019 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, लंदन (UK) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

फा. क्र. 3777-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:—

क्र.	नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रदीप कुमार व्यास, संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	सिविल जिला, धार. जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से श्री रामकुमार चौबे के स्थान पर.
2	श्री सतीश चन्द्र राय, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर.	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्रीमती संगीता यादव, संकाय सदस्य (जूनि-1), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2019

क्र. एफ-3-34-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7335-44-उपां-टीसी-भोपाल-2018, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अचारपुरा	263/2	13.12	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक.
		264/2	01.72		
		265	05.20		
		267/1/2	23.96		
		योग . .	44.00		

शर्त.—प्रश्नाधीन भूमि के मध्य दर्शित मार्गों का प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजन करना आवश्यक होगा

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 जुलाई 2019

रा. प्र. क्र.-17-अ-82-2018-2019-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को **प्रारूप "क"** में सूचना दी जाकर उनसे **प्रारूप "ख"** में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-चिखलीखुर्द, प. ह. नं.-29/17 ब.न.-86 रा.नि.म.-चांद.	केहरसिंह पि. जयराम लोधी निवासी चिखलीखुर्द.	399/2क	0.072	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				कुल योग . .	0.072	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-18-अ-82-2019-2020-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को **प्रारूप "क"** में सूचना दी जाकर उनसे **प्रारूप "ख"** में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-खैरीरानी प. ह. नं.-36 ब.न.-58 रा.नि.म.-चांद.	रामकृष्ण पि. सुगड लोधी, निवासी खैरीरानी.	260/1	0.038	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
				कुल योग . .	0.038	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2019

क्र. 3678-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में

लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम-बांकानागपुर प.ह.नं.-22 ब. नं.-195 रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा-0.165 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3679-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-आमटा प.ह.नं.-21/40 ब. नं.-5	रकबा-0.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंधमें.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3680-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-खैरीरानी प.ह.नं.-36 ब. नं.-56 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा-0.162 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3681-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-हरनाखेडी प.ह.नं.-36 ब. नं.-306 रा.नि.मं.-चांद	रकबा-01.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3682-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22-ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-खमरा प.ह.नं.-57 ब. नं.-90 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा	रकबा-0.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019

क्र. संशो.-7601.—सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथान हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जाए.

अत:, मैं, अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों के उपहार गृहों, भोजनालयों होटलों जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी.

2. ताजी मिठाईयां, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, उबली चाय, काफी, शरबत, मांस-मछली, अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मखखी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण "क" (1) एवं (2) में उल्लेखित वस्तुओं से तैयार पकाये हुए भोजन, जोकि एक निश्चित अवधि उपरान्त दूषित हो जाता है, लायेगा ना ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है, और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय एवं आयुर्वेदिक अस्पताल.
3. ऐसे आरक्षक पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीहोर/आष्टा.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वस्छता निरीक्षक सीहोर/आष्टा/बुधनी/नसरूल्लागंज/इछावर/श्यामपुर.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीहोर/आष्टा/बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालो, गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.

अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 02-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि ग्राम इन्द्रा तहसील बरेला जिला जबलपुर के अन्तर्गत अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	बरेला	इन्द्रा	0.31	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.	अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2019

प्र. क्र. 5-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	बड़ौनी	सलैया पवांर	0.17	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत सलैया पवांर से टका वाया छता मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 जुलाई 2019

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-18-19-पत्र क्र. 293-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	देवरा	2.453	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना (म. प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-18-19-पत्र क्र. 294-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सरिसताल	0.106	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना (म. प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महोबा, खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 जुलाई 2019

प. क्र. 4059-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सर्रा प.ह.नं. 08	निजी भूमि 0.29 शासकीय भूमि 0.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर
			कुल भूमि 0.34		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4063-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	पनारझिर प.ह.नं. 02	निजी भूमि 0.26 शासकीय भूमि 0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर
			कुल भूमि 0.27		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4064-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	थांवरी प.ह.नं. 01	0.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4065-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर/कहानी	गाडाघाट प.ह.नं. 08	निजी भूमि 0.75 शासकीय भूमि 0.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर
			कुल भूमि 1.42		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4066-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सलेमा प.ह.नं. 07	निजी भूमि 2.18 शासकीय भूमि 0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर
			कुल भूमि 2.22		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4067-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर/कहानी	गोल्हिया प.ह.नं. 32	0.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4068-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	खिरखिरी प.ह.नं. 08	1.68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4070-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	कुरनभाटा प.ह.नं. 17	0.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4071-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	खुरसीपार प.ह.नं. 07	1.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4073-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	घोघरीमाल प.ह.नं. 16	1.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4074-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य

शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सालीवाडा प.ह.नं. 05	0.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4075-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	मोहगांव प.ह.नं. 07	2.47	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4076-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	घंसौर/कहानी	गोल्हिया प.ह.नं. 32	निजी भूमि 1.22 शासकीय भूमि 0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	हालौन जलाशय की मायनर नहर
			कुल भूमि 1.23		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

प. क्र. 4077-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. 0 बंडोल	ग्राम-समनापुर रैयत ब.न.-542 प.ह.नं.-02	रकबा-1.25 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4078-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. 0 बंडोल	ग्राम-समनापुर माल ब.न.-01 प.ह.नं.-02	रकबा-1.15 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4079-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. 0 बंडोल	ग्राम-पिपरिया ब.न.-338 प.ह.नं.-02	रकबा-2.75 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4080-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम-जरौंदा ब.न.-338 प.ह.नं.-02	रकबा 3.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा, (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4081-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ए-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम-बखारी ब.न.-391 प.ह.नं.-01	रकबा 2.49 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अनुभाग-मऊगंज जिला-रीवा (म. प्र.)

प्ररूप—घ

(नियम 6 देखिये)

मऊगंज, दिनांक 23 जुलाई 2019

क्र. 10-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 839, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-भाट मु. ढेरा, 784 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम भाट मु. ढेरा 784 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	भाट मु. ढेरा 784, पटवारी हल्का 25	54	0.028

क्र. 11-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 890, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बराती 694 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम बराती 694 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	बराती 694,	10/2	0.013
		पटवारी हल्का 13	10/3	0.012
		डिघवार.	15/1	0.033
			15/2	0.015
			15/3	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19/3	0.022
			19/4	0.023
			20/1/1	0.024
			30/1	0.025
			30/2	0.041
			24/2/2	0.003
			26/2	0.035
			26/3	0.004
			26/4	0.013
			25/1	0.019

क्र. 12-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 843, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मोलैया 880, तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम मोलैया 880 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	मोलैया 880,	10	0.008
		पटवारी हल्का 15	8/2	0.001
		रजिगवाँ	7	0.011
			21/1	0.028
			21/2	0.006
			21/3	0.004
			26/1	0.006
			23/1	0.002
			39/4/क	0.002
			39/4/ख	0.002
			39/5	0.005
			11/1	0.005
			11/2	0.005
			22/1	0.011
			22/2/ख	0.002
			40	0.006

क्र. 13-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 842, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-तमरी ठाकुर 428 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम तमरी ठाकुर 428 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	तमरी ठाकुर 428, पटवारी हल्का 15 रजिगवाँ.	16/3	0.005
			1/1	0.005

क्र. 14-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 901, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-ढेरा 420 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम ढेरा 420 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	ढेरा 420, पटवारी हल्का 25 ढेरा, रा.नि.म. सीतापुर.	142/2	0.012
			146/1	0.004
			146/2	0.005
			146/3	0.004
			147/1	0.010
			147/3	0.004
			154/2	0.008
			160/1	0.007
			162/1/1	0.006
			163/2	0.011
			167/1	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			167/2	0.010
			175	0.002
			173/1	0.001
			173/2	0.009
			178	0.012
			179	0.019
			183/1	0.003
			184	0.006
			185/1	0.002
			185/2	0.008
			188/1	0.012
			190	0.007
			191	0.007
			192	0.006
			141/1	0.009
			158/1	0.002
			158/2	0.002
			159	0.012
			161/1/क	0.018
			174	0.008
			172/1	0.001
			355/1/51	0.005
			355/2/51	0.005

क्र. 15-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 902, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मिसिरगवां काटन-851 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम मिसिरगवां काटन-851 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	मिसिरगवां काटन-851,	58/1/ख	0.023
		पटवारी हल्का 25	58/1ग	0.004
		ढेरा, रा.नि.म.	59/2	0.004
		सीतापुर.		

क्रमांक 16-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 838, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बहेरी काटन 711 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	बहेरी काटन-711	8	0.008
		पटवारी हल्का 26	9	0.008
		ऊँची.	10/1/1	0.010
			11/1/क/1	0.001
			11/1/ख	0.006
			11/2/3	0.007
			12/1	0.008

क्र. 17-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 841, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम तमरी 429 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	तमरी 429,	29	0.031
		पटवारी हल्का 15	31	0.017
		रजिगवाँ	24	0.005
			39	0.013
			41	0.007
			49	0.013
			56	0.006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			57/1/1	0.016
			57/1/2	0.014
			57/3	0.020
			67	0.001
			68	0.009
			65	0.011
			33	0.006
			40	0.013
			42	0.007
			48	0.002
			54	0.006
			99	0.001
			69	0.008

क्र. 18-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 837, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बहेरी चौवान 712 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम बहेरी चौवान 712 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	बहेरी चौवान 712	289	0.013
		पटवारी हल्का 26	291/1	0.035
		ऊँची.	294	0.001
			295/1/क	0.007
			295/1/ख	0.008

क्र. 19-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 887, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-शुकुलगवां 992 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम शुकुलगवां 992 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की

उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	शुकुलगवां 992	455/1	0.023
		पटवारी हल्का 10	456	0.011
		शुकुलगवां	457/2	0.010
			458/2	0.002
			459/1	0.016
			469/1/क	0.020
			469/1/ख	0.008
			468	0.025
			483	0.011
			484	0.014
			545/483	0.040
			415/1/क	0.024
			417/1/क	0.003
			397	0.014
			398/1	0.003
			398/2	0.007
			398/3	0.003
			399	0.039
			400	0.021
			388	0.020
			387	0.002
			386/2/1	0.026

क्र. 20-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 834, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-पथरहा 577 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम पथरहा 577 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	पथरहा 577	101/1/2	0.012
		पटवारी हल्का 25 ढेरा	101/1/3	0.007
			20	0.007
			21	0.001

क्र. 21-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 895, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-खुझवा सुअरहा 201 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम खुझवा सुअरहा 201 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	खुझवा सुअरहा 201, पटवारी हल्का 5 घोरहा	358/1	0.038
			364/1	0.018
			311	0.013
			310/4	0.012
			309/1	0.002
			222/1	0.003
			222/2	0.005
			222/3	0.005
			222/4	0.005
			223	0.010
			224	0.001
			225/1	0.008
			226	0.001
			228/2	0.010
			229	0.009
			230/1	0.004
			230/2	0.004
			231/3	0.005
			231/4	0.005
			232	0.026
			243	0.008
			244	0.005
			162/1/1	0.003
			162/1/2	0.003
			162/2	0.015
			157/1	0.022
			156/1	0.002
			155	0.004
			150	0.005
			151	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			144	0.010
			146	0.006
			145	0.005
			52	0.008
			53	0.011
			54	0.017
			44/1	0.003
			44/2	0.003
			44/3	0.003
			44/4	0.001
			43/4	0.002
			58	0.001
			62	0.017
			63/1/क	0.030
			63/2	0.012
			65/1/क	0.007
			71/1	0.002

क्र. 22-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 888, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-नौढ़िया-555 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम नौढ़िया-555 तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	नौढ़िया-555	980	0.014
		पटवारी हल्का 06	990	0.018
		नौढ़िया	991	0.019
			994	0.020
			996	0.017
			998	0.022
			1007	0.008
			2065	0.018
			2061	0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2060	0.021
			1445	0.004
			1522	0.045
			1500	0.021
			1498	0.012
			1497	0.008
			1495	0.025
			1470	0.014
			1471	0.016
			1450	0.003
			1451	0.027
			1453	0.008
			1421	0.003
			1420	0.008
			1419	0.035
			1413	0.004
			1412	0.011
			1293	0.022
			1294	0.001
			1409	0.015
			1408	0.014
			1310	0.005
			1309	0.017
			1308	0.021
			1328	0.004
			1329/1	0.041
			1185	0.003
			1183	0.035
			1184	0.016
			1182	0.005
			1181	0.013
			1180	0.014
			1190	0.005
			1191	0.017
			1192	0.005
			1193	0.001
			562	0.005
			561	0.005
			560	0.009
			554	0.006
			555	0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			556	0.003
			545	0.005
			544	0.002
			543	0.004
			541	0.009
			542	0.012
			531	0.006

क्र. 23-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 884, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-बहेरी नानकर 713 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम बहेरी काटन 711 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	बहेरी नानकर 713 पटवारी हल्का 26 ऊँची	121/1/2	0.006
			121/1/3	0.006
			121/2	0.006
			124/1	0.007
			124/2	0.002
			125	0.003
			118/1	0.016
			126	0.020
			127	0.006
			221/1	0.026
			331/1	0.004
			330/1	0.023
			329/2	0.013
			327/1	0.023
			359	0.006
			360 शा.ख.नं. 359 में	0.001
			362 शा.ख.नं. 359 में	0.005
			364 शा.ख.नं. 359 में	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			363 शा.ख.नं. 359 में	0.006
			366/1	0.011
			366/2	0.007
			366/3	0.007
			366/4	0.005
			123	0.004
			107	0.015

क्र. 24-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 896, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-खुझवा उर्फ खजुरहा 199 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	खुझवा उर्फ खजुरहा 199	10/1/ग	0.015
		पटवारी हल्का 5	10/4/ख	0.005
		घोरहा	10/5	0.020
			9/2	0.010
			8	0.015
			6/4/1	0.023
			6/4/2	0.012
			3	0.054

क्र. 25-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 898, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-भगतपुरा 765 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-भगतपुरा 765 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित

की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	भगतपुरा 765,	5/2	0.011
		पटवारी हल्का 5	12	0.015
		घोरहा	13 शा.न. 16	0.017
			14	0.025
			6/2	0.022
			1/1	0.001

क्र. 26-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 906, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-मैरहा टोला-555,क तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा से ग्राम-मैरहा टोला-555,क तहसील-मऊगंज, जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	मैरहा टोला-555,क	1522	0.016
		पटवारी हल्का 06	1551	0.009
		नौढ़िया	1550	0.003
			1533	0.005
			1547	0.008
			1545	0.011
			1544	0.006
			1543	0.004
			1542	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1540	0.008
			1605	0.005
			1440	0.006
			1439	0.004
			1437	0.005
			1438	0.009
			1436	0.013
			1435	0.001
			1432	0.007
			1433	0.004
			1434	0.003
			1629	0.008
			1364	0.008
			1363	0.002
			1368	0.007
			1369	0.009
			1356	0.009
			1344	0.007
			1342	0.013
			1340	0.010
			1301	0.001
			1339	0.004
			1032	0.008
			1033	0.009
			1034	0.002
			1039	0.008
			1042	0.009
			1044	0.004
			1046	0.005
			1049	0.007
			1056	0.007
			1055	0.001
			1057	0.008
			1058	0.008
			1196	0.012
			1195	0.009
			1202	0.011
			1203	0.011
			1207	0.011
			1208	0.010
			1209	0.004
			1179	0.010

क्र. 27-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 883, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम्र-उरूआ 78 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-उरूआ 78 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	उरूआ 78	49/1	0.014
		पटवारी हल्का 5	48/1	0.001
		घोरहा	48/2	0.012
			44/1/1	0.027
			44/1/2	0.014
			45/1	0.003
			45/2	0.001
			27/1	0.027
			47	0.014
			30/1	0.008
			31	0.023

क्र. 28-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 835, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-डोकरा माठ खुर्द 409 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	डोकरा माठ खुर्द 409	7/1/घ/2	0.004
		पटवारी हल्का 25	7/2/क/1/1	0.035
		ढेरा	7/5	0.027
			7/13	0.004
			7/14	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7/18/1	0.012
			7/19/1	0.011

क्र. 29-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 836, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-दूदाटोला 492 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-दूदाटोला 492 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	दूदाटोला 492	1	0.008
		पटवारी हल्का 25	2	0.007
		ढेरा	6/1	0.009
			7	0.001

क्र. 30-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 897, दिनांक 23 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-डिघवार 391 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-डिघवार 391 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	डिघवार 391	47/2	0.028
		पटवारी हल्का 13	45/1	0.013
		डिघवार	45/3	0.006
			45/4	0.015
			44/1	0.028
			44/7	0.024

क्र. 31-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 903, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-डिघवार 393 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-डिघवार 393 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	डिघवार 393, पटवारी हल्का 13 डिघवार	197/1 शा.ख.न. 198, 200/1	0.016
			198 शा.ख.न. 197/1 में	0.031
			200/1 शा.ख.न. 197/1 में	0.003
			204/2	0.030
			127/1	0.009
			126	0.015
			122	0.005
			121	0.002
			112	0.010
			113	0.008
			115	0.011
			119 शा.ख.न. 115 में	0.012
			120 शा.ख.न. 115 में	0.013
			43/2/ख	0.017
			43/3	0.021
			37/2	0.014
			37/6	0.014
			35/1	0.027
			33	0.014
			30/1	0.011
			30/2	0.012
			30/3	0.012
			24/2	0.029
			34	0.003
			20/1/1	0.029
			19/1 शा.न. 18/1 में	0.026
			18/1 शा.न. 19/1 में	0.020
			14/1/1	0.016
			14/1/2	0.016
			14/1/3	0.016
			14/1/4	0.017
			123/1	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			123/2	0.001
			123/2	0.001
			123/3	0.001
			123/4	0.001
			110/1	0.001
			110/2	0.001
			111/3	0.001

क्र. 32-भू-अर्जन-कार्य-19.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 889, दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-धोरहा 264 तहसील-मऊगंज-जिला-रीवा से ग्राम-धोरहा 264 तहसील-मऊगंज जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है. अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रीवा	मऊगंज	धोरहा 264, पटवारी हल्का 5 घोरहा	112/1	0.028
			113/1	0.024
			107/1	0.005
			107/2	0.005
			107/3	0.005
			78/2	0.052
			75/2	0.004
			81 सा. नं. 80 में	0.011
			83	0.014
			63/1	0.016
			69	0.021
			68/2	0.018
			117/1	0.014
			108/1	0.006
			108/2/क	0.006

ए. के. झा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 मार्च 2019

क्र. 185–भू–अर्जन–2019.– जिला सतना स्थित ग्राम इटौर की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 27 दिसम्बर 1991 में भू–अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोंस जल विद्युत परियोजना हेतु अर्जित की गई थी, चूंकि यह भूमि डूब क्षेत्र से बाहर है तथा म0प्र0पा0ज0कं0 लिमिटेड जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ–12–17–2007 –सात–2ए–भोपाल दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गई प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लेखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–कोटर
(ग) नगर/ग्राम–इटौर
(घ) क्षेत्रफल–55.412 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	वापस योग्य रकबा (हेक्टेयर में) (2)
452/1	0.177
517	0.061
518	0.719
520	0.210
521	0.328
509	0.081
510	0.304
511	0.170
515	0.930
516	0.344
519	0.174
507	2.205
527	0.703
387	0.101
386	3.488
449	0.372
550	0.283
403/2	0.405
447/1	0.349
410	0.243
411	0.190
412	0.587
549	0.897
551	0.532
420	0.257
427	0.330
206	2.570
205	0.061
547	1.076
545	0.918
548	0.320
546	0.947
543	0.551
522	1.044
438/2	0.190
406/2	0.040
134/1	0.324
132	0.506
133	0.909
134/2	0.987
120/2	0.485
124/2	0.364
417/1	0.134
120/1	0.490
417/2	0.138
446	0.450
453	0.049
440	0.497
442/2	0.312
443	0.563
444	0.526
406/1	0.546
397	1.015
398	0.032
399	0.502
400	0.271
403/1	0.911
405	0.287

(1)	(2)
544	0.452
437	1.210
454	2.348
455	0.445
456	0.152
457	0.117
458	0.239
459	0.417
512	0.085
513	0.251
514	0.713
452/2	0.175
460	1.019
401	0.656
442/1	0.312
558	0.461
555	0.874
557	0.809
441	1.036
559	0.835
103	0.106
438/1	0.190
529/2	0.212
529/1	0.212
532	0.510
539	0.308
540	0.506
502	0.368
556	0.121
99	3.682
101	0.951
100	0.271
535	0.802
404	0.295
124/1	0.821
101/2	0.951
102/2	0.045
योग . .	55.412

(2) उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर बाघेलान/कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू अर्जन संभाग, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है.

(3) प्रभावित क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि के अंदर अपना आपत्ति/दावा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर बाघेलान/कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन संभाग, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सिरमौर, जिला रीवा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते है. उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार की आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे.

सतना, दिनांक 04 जुलाई 2019

क्र. 262-भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम-खैरा
(घ) क्षेत्रफल-0.622 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	कुल रकबा (हे0 में) (2)	अर्जित रकबा (हे0 में)
9/1ख/1/1	2.037	0.235
9/1ख/1/3	0.004	0.004
9/1ख/1/4	0.004	0.004
9/1ख/1/5	0.004	0.004
9/1ख/1/6	0.004	0.004
9/1ख/1/7	0.004	0.004
9/1ख/1/8	0.004	0.004
9/1ख/1/9	0.004	0.004
9/1ख/1/10	0.004	0.004
9/1ख/1/11	0.004	0.004
9/1ख/1/12	0.004	0.004
9/1ख/1/13	0.004	0.004
9/1ख/1/14	0.004	0.004

(1)	(2)	
9/1ख/1/15	0.004	0.004
9/1ख/1/16	0.004	0.004
9/1ख/1/17	0.004	0.004
9/1ख/1/18	0.004	0.004
9/1ख/1/19	0.004	0.004
9/1ख/1/20	0.004	0.004
9/1ख/1/21	0.004	0.004
9/1ख/1/22	0.004	0.004
9/1ख/1/23	0.004	0.004
9/1ख/1/24	0.004	0.004
9/1ख/1/25	0.002	0.002
9/1ख/1/26	0.004	0.004
9/1ख/1/27	0.004	0.004
9/1ख/1/28	0.002	0.002
9/1ख/1/29	0.002	0.002
9/1ख/1/30	0.002	0.002
9/1ख/1/31	0.002	0.002
9/1ख/1/32	0.002	0.002
9/1ख/1/33	0.002	0.002
9/1ख/1/34	0.002	0.002
9/1ख/1/35	0.002	0.002
9/1ख/1/36	0.005	0.005
9/1ख/2/3	0.018	0.011
9/2ख/4/3	0.007	0.004
9/2ख/4/4	0.006	0.004
9/2ख/4/5	0.007	0.004
9/2ख/4/6	0.011	0.005
9/2ख/4/7	0.011	0.005
9/2ख/4/8	0.005	0.005
9/2ख/4/9	0.005	0.005
9/2ख/4/10	0.005	0.005
9/2ख/4/11	0.005	0.005
9/2ख/4/12	0.005	0.005
3/2/2/1	0.748	0.048
3/1/2	1.518	0.006
1	0.081	0.066
2/1	0.041	0.010
1/143	0.036	0.018
3/144/1	0.043	0.022
3/1/1ख/1/क/1/1 3/1/1ख/2/1/क/1	0.408	0.030
3/1/1ख/2/1क/3	0.035	0.010
	कुल	0.622 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–ललितापुर–सतना–पन्ना–रीवा–सिंगरौली (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 263–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन : (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम–करही हरमल्ला
(घ) क्षेत्रफल–1.407 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	कुल रकबा (हे0 में) (2)	अर्जित रकबा (हे0 में)
77/1/3	0.006	0.006
77/1/4	0.004	0.004
77/1/5	0.004	0.004
77/1/6	0.004	0.004
77/1/7	0.004	0.004
77/1/8	0.004	0.004
77/1/9	0.004	0.004
77/1/10	0.004	0.004
77/1/11	0.004	0.004
77/1/12	0.004	0.004
77/1/13	0.004	0.004
77/1/14	0.004	0.004
77/1/15	0.004	0.004
77/1/16	0.004	0.004
77/1/17	0.004	0.004
77/1/18	0.004	0.004
78/2/2	0.008	0.004
78/2/3	0.008	0.004
78/2/4	0.018	0.008

(1)	(2)	
166/3/3	0.002	0.002
78/2/5	0.018	0.008
165/3/5	0.005	0.005
78/3/3	0.008	0.004
78/3/4	0.004	0.004
78/3/5	0.004	0.004
78/3/6	0.004	0.004
78/3/7	0.004	0.004
78/3/8	0.004	0.004
78/3/9	0.004	0.004
78/3/10	0.004	0.004
78/3/11	0.004	0.004
78/3/12	0.004	0.004
78/3/13	0.004	0.004
78/3/14	0.004	0.004
78/3/15	0.004	0.004
78/3/16	0.004	0.004
78/3/17	0.004	0.004
78/3/18	0.004	0.004
78/3/19	0.004	0.004
163/1/2	0.008	0.008
163/1/3	0.008	0.008
163/1/4	0.008	0.008
163/1/5	0.008	0.008
163/1/6	0.008	0.008
163/1/7	0.004	0.004
163/1/8	0.012	0.012
163/1/9	0.016	0.016
163/1/10	0.014	0.014
163/1/11	0.014	0.014
163/1/12	0.002	0.002
165/1/1/1/1	0.037	0.037
169/1/1/1	0.085	0.005
165/1/2/1	0.009	0.009
169/1/1/6	0.086	0.038
165/1/2/3	0.004	0.004
165/1/2/4	0.008	0.008
165/1/2/5	0.004	0.004
165/1/2/6	0.008	0.008
165/1/2/7	0.004	0.004
165/1/2/8	0.008	0.008
165/3/1	0.001	0.001
169/3	0.158	0.030
165/3/3	0.005	0.005

(1)	(2)	
166/3/1	0.003	0.003
165/3/4	0.005	0.005
166/3/2	0.003	0.003
166/1/2/1	0.008	0.008
169/1/1/3	0.008	0.008
166/2/1	0.001	0.001
169/2/1/1/1	0.193	0.037
166/2/3	0.004	0.004
166/2/4	0.004	0.004
167/1	0.018	0.018
168/1/1	0.366	0.155
169/2/3/1	0.014	0.014
169/2/3/2	0.004	0.004
169/2/11/1	0.010	0.010
169/2/11/2	0.004	0.004
169/2/11/3	0.003	0.003
169/2/11/4	0.003	0.003
169/2/9	0.009	0.009
169/2/1/2/1	0.008	0.008
169/2/1/2/3	0.008	0.008
169/1/2/1	0.041	0.041
162/2/2	0.001	0.001
162/2/3	0.001	0.001
162/2/4	0.001	0.001
162/2/5	0.001	0.001
162/2/6	0.001	0.001
162/2/7	0.001	0.001
162/2/8	0.001	0.001
162/2/9	0.001	0.001
161/3/14	0.006	0.004
161/3/15	0.006	0.003
158/1	1.207	0.436
158/2	0.201	
169/2/2/2	0.009	0.004
169/2/2/3	0.009	0.005
169/2/2/4	0.009	0.005
169/2/2/1	0.001	0.001
178/6/1	0.001	0.001
178/6/2	0.004	0.002
178/6/3	0.004	0.002
178/6/4	0.004	0.002
178/6/5	0.004	0.002
169/1/1/4	0.060	0.031
169/1/1/5	0.041	0.041

(1)	(2)	
168/1/3	0.009	0.009
168/1/4	0.012	0.012
168/1/5	0.012	0.012
165/2/4	0.007	0.007
77/1/1	0.048	0.008
62/1/1	0.046	0.010
62/1/2	0.002	0.002
62/1/3	0.002	0.002
62/1/4	0.002	0.002
78/2/1	0.098	0.014
78/3/1	0.052	0.004
	कुल . .	1.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – ललितपुर–सतना–पन्ना–रीवा–सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 264–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला–सतना

(ख) तहसील–रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम–गिदुरी

(घ) क्षेत्रफल–0.370 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हे0 में)	अर्जित रकबा (हे0 में)
(1)	(2)	
6/1/2	0.005	0.005
6/1/3	0.005	0.005
6/1/4	0.005	0.005
6/1/5	0.005	0.005
6/1/6	0.005	0.005
8/3/1	0.023	0.023
8/3/3	0.005	0.005
8/3/4	0.004	0.004
8/3/5	0.004	0.004
5/2/क/1	0.008	0.008
8/1/1	0.053	0.017
7/1	0.016	0.012
10/2/3/2	0.005	0.005
10/2/3/3	0.005	0.005
10/2/3/4	0.004	0.004
48/2	0.040	0.026
49	0.069	0.053
51/1/3 51/2/3	0.445	
51/1/1 51/2/1	0.458	0.131
51/1/2 51/2/2	0.445	
47/2/6	0.004	0.004
47/4/18	0.004	0.004
11/1क/1/3	0.005	0.002
11/1क/1/9	0.005	0.002
11/1क/1/8	0.005	0.002
11/1क/1/10	0.005	0.002
11/1क/1/14	0.005	0.002
11/1क/1/15	0.005	0.002
11/1क/1/4	0.005	0.002
47/3/6	0.004	0.004
47/1/1/3	0.002	0.002
47/4/3	0.002	0.002
47/1/1/8	0.002	0.002
47/4/4	0.004	0.004
11/1क/1/7	0.005	0.002
11/1क/1/12	0.003	0.002
47/4/23	0.004	0.004
47/3/20	0.004	0.004
	कुल . .	0.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – ललितपुर–सतना–रीवा–सिंगरौली–महोबा–खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 266–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम–बगहा
(घ) क्षेत्रफल–1.858 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	कुल रकबा (हे0 में) (2)	अर्जित रकबा (हे0 में)
802/2	0.122	0.122
803/2	0.098	0.098
240/1005/1/1	0.023	0.023
240/1005/1/2/1	0.019	0.019
240/1005/1/2/2	0.005	0.005
240/1005/1/2/3	0.005	0.005
240/1005/1/3	0.007	0.007
240/1005/1/4	0.006	0.006
240/1005/1/5	0.030	0.030
240/1005/1/6	0.029	0.029
240/1005/1/7	0.009	0.009
240/1005/1/8	0.011	0.011
240/1005/1/9	0.016	0.016
240/1005/1/10/1/1	0.005	0.005
240/1005/1/10/1/2	0.004	0.004
240/1005/1/10/2/1	0.004	0.004
240/1005/1/10/2/2/1	0.002	0.002
240/1005/1/10/2/2/2	0.002	0.002
240/1005/1/11	0.016	0.016
240/1005/1/12	0.013	0.013
240/1005/1/13	0.021	0.021
240/1005/2/1	0.080	0.080
240/1005/2/2/1	0.006	0.006
240/1005/2/2/2	0.006	0.006
240/1005/2/2/3	0.007	0.007
240/1005/2/3	0.010	0.010
240/1005/2/4/1	0.010	0.010
240/1005/2/4/2	0.008	0.008
240/1005/2/4/3	0.008	0.008
240/1005/2/5/1	0.009	0.009
240/1005/2/5/2	0.010	0.010
240/1005/2/5/5	0.010	0.010
240/1005/2/5/6	0.010	0.010
240/1005/2/5/7	0.005	0.005
240/1005/2/5/8	0.006	0.006
240/1005/2/5/9	0.009	0.009
240/1005/2/5/3	0.010	0.010
240/1005/2/5/4	0.010	0.010
240/1005/2/5/10	0.009	0.009
240/1005/2/5/11	0.004	0.004
240/1005/3/1/1	0.055	0.055
240/1005/3/2/1	0.002	0.002
240/1005/3/3/1	0.005	0.005
240/1005/3/4/1/1	0.006	0.006
240/1005/3/4/1/2	0.006	0.006
240/1005/3/4/1/3	0.006	0.006
240/1005/3/5/1	0.003	0.003
240/1005/3/6/1	0.009	0.009
240/1005/3/7/1/1	0.012	0.012
240/1005/3/7/1/2	0.005	0.005
240/1005/3/7/1/3	0.005	0.005
240/1005/3/7/1/4	0.005	0.005
343/1/2/1	0.304	0.018
343/1/3/2/1	0.042	0.042
344/2/1	0.015	0.010
345/1/3	0.043	0.028
345/1/4	0.012	0.011
345/1/6	0.014	0.007
345/1/7	0.018	0.003
346/3	0.202	0.017
346/4	0.526	0.017
348/1/1/1	0.012	0.010

(1)	(2)	
350/1/क/1	0.162	0.041
350/1/ख	0.262	0.033
351/2/1	0.068	0.003
350/1/ग	0.263	0.028
342/1/4	0.022	0.008
350/1/घ/1	0.163	0.028
350/979/3/1/2	0.008	0.008
350/979/3/1/3	0.008	0.008
350/979/3/1/4	0.008	0.008
350/979/3/1/1	0.011	
350/979/2/1	0.033	
350/979/4/1	0.090	0.032
350/979/4/2	0.008	
350/979/4/3	0.008	
352/7	0.037	0.006
352/8	0.037	0.011
409/1/1/2	0.405	0.142
409/1/1/3	0.405	0.141
409/1/1/4	0.405	0.141
240/1005/3/1/2	0.009	0.009
797	0.684	0.001
270/2/4/1	0.047	0.002
270/2/4/2/1	0.014	0.013
270/2/11	0.020	0.008
274/1/1/3	0.020	0.001
274/1/1/8	0.020	0.013
289/2/2/2/1	0.138	0.102
409/1/1/1	0.236	0.074
408/2/1	0.132	0.018
350/1/8	0.032	0.014
277/7	0.023	0.009
	कुल . .	1.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – ललितपुर–सतना–पन्ना–रीवा–सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 267–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम–करही कोठार
(घ) क्षेत्रफल–0.026 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकवा (हे0 में)	अर्जित रकवा (हे0 में)
(1)	(2)	
142/2/1	0.140	0.026
	कुल . .	0.026

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – ललितपुर–सतना–पन्ना–रीवा–सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. 297–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम–बगहाई कोठार
(घ) क्षेत्रफल–2.164 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
899/1	0.102
899/3	
899/2/क/1	
899/2/क/2	
899/2/क/3	
899/2/क/4	
899/2/क/5	
899/2/क/6	
899/2/क/7	0.242
899/2/क/8	
899/2/क/9	
899/2/क/10	
899/2/क/11	
899/2/क/12	
899/2ख	
900/1	
900/2	0.010
900/3	
913/1क/1	
913/1/क/2	
913/1/क/3	0.006
913/1/ख	
913/2/क	
913/2/ख	
913/2/ग	
914	0.068
921/1	
921/2/क	
921/2/ख	
921/3/क	
921/3/ख/1	
921/3/ख/2	
921/3/ग	
921/3/ड.	
921/4/क	0.131
921/4/ख/1	
921/4/ख/2	
921/4/ख/3	
921/4/ख/4	
921/4/ग/1	
921/4/ग/3	
921/4/ग/4	

(1)	(2)
960/क/1/क	
960/क/1/ख	
960/क/2/क	
960/क/2/ख	
960/क/2/ग	
960/क/3	
960/ख/1/क/1	
960/ख/1/क/2	0.006
960/ख/1/क/3	
960/ख/1/ख	
960/ख/2	
960/ग/1	
960/ग/2	
960/घ/1	
960/घ/2	
967/1/क	
967/1/ख	
967/2	
967/3	0.632
967/4	
968	0.004
981	0.125
982/1	0.100
982/2	
983/1	0.011
983/2	
984/1	0.004
984/2	
986/1	0.004
986/2	
987/1	
987/2/क	0.045
987/2/ख	
1002/1/क/1/1/क/1	
1002/1/क/1/1/क/2	
1002/1/क/2	0.260
1002/1/ख	
1002/1/ग	
1002/2	
1003	0.029
1011/1/क	
1011/1/ख	
1011/2/क	0.015
1011/2/ख	

(1)	(2)
1012/1/क/1/क	
1012/1/क/1/ख	
1012/1/क/1/ग/1	
1012/1/क/1/ग/2/1	
1012/1/क/1/ग/2/2	
1012/1/क/1/घ/1/1	
1012/1/क/1/घ/1/2	
1012/1/क/1/घ/2	
1012/1/क/1/घ/3	
1012/1/क/1/घ/4	
1012/1/क/1/घ/5	
1012/1/क/1/घ/6	0.370
1012/1/क/1/घ/7	
1012/1/क/1/घ/8	
1012/1/क/1/घ/9	
1012/1/क/1/घ/10	
1012/1/क/2	
1012/1/ख	
1012/1/ग/1	
1012/1/ग/2	
1012/2	
1012/3	
1012/4/क	
1012/4/ख	
1012/4/ग	
1012/4/घ	
निजी खाता भूमि योग रकवा . .	2.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 298–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रघुराजनगर
(ग) ग्राम–सकरिया
(घ) क्षेत्रफल–0.422 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
211/1/1/7	0.018
299/9/9, 290/1	0.308
323/12	0.032
323/13	0.012
323/14	0.006
323/15	0.006
323/16	0.012
323/17	0.006
323/18	0.008
323/19	0.008
323/20	0.006
निजी खाता भूमि योग रकवा	0.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 299–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना

(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम–मनकहरी
(घ) क्षेत्रफल–0.147 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
55/2क	0.005
55/2ख	0.005
55/2ग	0.005
55/2घ	0.005
56/2	0.004
102/2	0.015
241/3क	0.100
136/2ख	0.004
136/3	0.004
निजी खाता भूमि योग रकवा	0.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 300–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम–सतरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल–0.444 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
85/2/1	0.015
85/2/2	0.015
85/3/2	0.018
86/2	0.017
91	0.005
93	0.013
95	0.006
96/1	0.004
96/2	0.004
96/3	0.003
101/1/ख	0.004
101/2	0.005
1010/5/2/क	0.003
1007/1	0.254
1010/5/3/क	0.003
1010/5/3/घ	0.003
1010/5/क/1	0.003
1010/5/6/क	0.002
1010/5/7/क	0.002
1010/5/8/क	0.002
1010/5/9	0.003
1010/5/10/क	0.002
1010/5/11/क	0.002
1010/5/10/ख	0.002
1010/5/3/ख	0.001
1010/5/3/ग	0.001
1010/5/12	0.002
1010/5/13	0.002
1010/5/14	0.001
1010/5/15	0.001
1010/5/8/ख	0.002
1010/5/8/ग	0.002
1010/5/7/ख	0.002
1010/5/2/ख	0.002
1010/5/7/ग	0.002
1010/5/2/ग	0.001
1010/5/10/ग	0.001
1010/5/11/ख	0.001
1010/5/6/ख	0.001
1010/5/6/ग	0.001
1010/5/17	0.001

(1)	(2)
1010/5/18	0.001
1010/5/16	0.001
1010/5/5/क	0.001
1010/5/4/ख	0.001
1010/5/4/ग	0.001
1010/5/4/घ	0.001
1010/5/19	0.001
1010/5/8/घ	0.001
1010/5/6/छ	0.001
1010/5/20	0.001
1010/5/11/ग	0.001
1010/5/21	0.001
1010/5/22	0.001
1010/5/23	0.001
1010/5/24	0.001
1010/5/25	0.001
1010/5/26	0.001
1010/5/27	0.001
1010/5/28	0.003
1010/5/29	0.001
1010/5/30	0.001
1010/5/5/क/2	0.001
1010/5/1/2	0.001
1010/5/1/3	0.001
1010/5/1/4	0.001
1010/5/5/क/3	0.001
1010/5/1/5	0.001
1010/5/2/घ	0.001
निजी खाता भूमि योग रकवा	0.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है — सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू–अर्जन), जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र. 307–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :— (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम–हिनौता
(घ) क्षेत्रफल–0.618 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208/2घ/1क	0.006
208/2घ/1ख	0.005
208/2घ/1ग	0.005
208/2घ/2/1	0.006
208/2घ/2/2	0.005
208/2घ/2/3	0.005
208/2घ/2/4	0.006
208/2घ/2/5	0.005
208/2ड./1	0.009
208/2ड/2	0.010
208/2ड/3	0.010
208/2ड/4	0.010
208/2ड/5	0.010
208/2च/1	0.004
208/2च/2	0.004
208/2च/3	0.004
208/2च/4	0.004
208/2च/6	0.004
208/2च/7	0.004
208/2च/8	0.004
208/2च/11	0.004
208/2च/9	0.004
208/2च/10	0.004
208/2च/5	0.009
208/2छ/1	0.010
208/2छ/2	0.012
208/2छ/3	0.011
208/2छ/4	0.013
209	0.004
210/1क/1	0.026
210/1क/3	0.004

(1)	(2)
210/1क/4	0.008
210/1क/5	0.004
210/1क/6	0.004
210/1क/7	0.004
210/1क/8	0.004
210/1क/9	0.008
210/1क/10	0.008
210/1क/11	0.004
210/1क/12	0.004
210/1क/13	0.004
210/1क/15	0.004
210/1क/16	0.004
210/1क/17	0.004
210/1क/18	0.004
210/1क/19	0.004
210/1क/20	0.008
210/1क/21	0.008
210/1क/22	0.004
210/1क/23	0.004
210/1ख/2क	0.018
210/1ख/2ख	0.016
210/1ख/2ग	0.015
210/2ख/3क	0.010
210/2ख/3ख	0.016
210/2ख/3ग	0.016
210/2ख/3घ	0.008
211/1ख	0.008
211/1घ	0.004
211/1ड.	0.004
211/2क	0.018
211/2ख	0.020
211/2/ग	0.020
211/2/घ	0.020
211/2/ड./1	0.004
211/2/च	0.004
211/2/छ	0.004
211/2/ड./2	0.004
211/2/झ	0.004
211/2/ञ	0.008
211/2/ट	0.004
211/2/ठ	0.004
(1)	(2)
211/2/ड	0.004
211/2/ढ	0.004
211/2ण	0.004
211/3	0.004
212/2क/1	0.030
212/2क/2	0.008
212/2क/3	0.004
212/2क/4	0.002
212/2क/5	0.002
212/2ख	0.010
निजी खाता भूमि योग रकबा	0.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 308–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम–बठिया
(घ) क्षेत्रफल–0.351 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/449/1	0.113
11/2	0.021
11/449/2	0.050
17/2	0.075
42/1क	0.008
46/1क	0.002
43/3ख	0.020
43/3क	0.020

(1)	(2)
43/3ग	0.020
46/1ख	0.002
45/3	0.004
46/1ग	0.002
45/4	0.004
45/5ख	0.008
46/1घ	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 309–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रघुराजनगर
(ग) ग्राम–बिरहुली
(घ) क्षेत्रफल–0.116 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136/2	0.060
143/1/ख/1	0.019
143/1/ख/2	0.003
143/1/ख/3	0.003
143/1/ख/4	0.002
143/1/ख/5	0.002
143/1/ख/6	0.003
144/2/1	0.012
260/1/1	0.005
260/1/3	0.004
263/1/1/2	0.003
निजी खाता भूमि योग रकबा	0.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है – सतना–रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :– (म.प्र. शासन/निज खाता)

(क) जिला–सतना
(ख) तहसील–रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम–बम्हौरी
(घ) क्षेत्रफल–0.577 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
317/1/क/1	0.001
317/1/क/2	0.001
317/1/क/3	0.002
317/1/क/4	0.002
317/1/क/5	0.002
317/1/क/6	0.002
317/1/क/7	0.002
317/1/क/8	0.002
317/1/क/9	0.002
317/1/क/10	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
317/1/ख/1	0.001	339/1/ख/1	0.019
317/1/ख/2	0.001	339/1/ख/2	0.003
317/1/ख/3	0.001	339/1/ख/3	0.005
317/1/ख/4	0.001	339/1/ख/4	0.005
317/1/ख/5	0.001	339/2/क/1	0.010
317/1/ग/1/क	0.001	339/2/क/2	0.003
317/1/ग/1/ख	0.002	339/2/क/3	0.003
317/1/ग/1/ग	0.002	339/2/क/4	0.003
317/1/ग/2	0.001	339/2/क/5	0.003
317/1/ग/3	0.001	339/2/क/6	0.003
317/1/घ/1/क	0.001	339/2/क/7	0.003
317/1/घ/1/ख	0.001	339/2/क/8	0.003
317/1/घ/1/ग	0.001	339/3/क	0.003
317/1/घ/1/घ	0.001	339/3/ख	0.005
317/1/घ/2	0.001	339/3/ग	0.005
317/1/घ/3	0.002	339/3/घ	0.005
317/1/घ/4/क	0.001	339/3/ड.	0.005
317/1/घ/4/ख	0.001	339/3/च	0.005
317/1/घ/4/ग	0.001	339/3/छ	0.003
317/2/क	0.001	339/3/ज	0.003
317/2/ख	0.001	339/3/झ	0.003
317/2/ग	0.001	339/3/ञ	0.003
317/2/घ	0.002	339/3/ट	0.003
317/2/ड.	0.002	412/2	0.036
322/1/क/2/क	0.002	417/1/ख/1/क	0.003
322/1/क/2/ख	0.004	417/1/ख/1/ख	0.003
322/1/क/3/क	0.002	417/1/ख/1/ग	0.003
322/1/क/3/ख	0.002	417/1/ख/1/घ	0.003
322/1/क/3/ग	0.002	417/1/ख/1/ड.	0.003
322/1/क/3/घ	0.002	417/1/ख/1/च	0.003
322/1/क/3/ड.	0.002	417/1/ख/1/छ	0.006
322/1/ख/1/क	0.002	417/1/ख/1/ज	0.006
322/1/ख/1/ख	0.002	417/1/ख/2	0.016
322/1/ख/1/ग	0.002	417/2/ख/5	0.001
322/1/ख/2/क/1	0.002	417/2/ख/7	0.001
322/1/ख/2/क/2	0.004	417/2/ख/9	0.001
322/1/ख/2/ख	0.002	417/2/ख/12	0.001
322/1/ख/2/ग	0.002	417/2/ख/13	0.001
322/1/ख/2/घ	0.002	417/2/ख/14	0.001
322/2/क	0.002	417/2/ख/15	0.001
322/2/ख	0.002	417/2/ग/1	0.001
322/2/ग	0.002	417/2/ग/2	0.001
322/2/घ	0.004	417/2/ग/3	0.001
322/2/ड.	0.004	417/2/ग/4	0.001

(1)	(2)
417/2/ग/9	0.001
417/2/ग/11	0.001
417/2/ग/12	0.001
417/2/ग/13	0.001
417/2/ग/14	0.001
418/1	0.006
418/2/क	0.001
418/2/ख	0.001
418/2/ग	0.001
418/2/घ	0.001
418/2/ड.	0.001
418/2/च	0.001
418/2/छ	0.001
419/2	0.029
606/1/क/2/क	0.012
606/1/क/2/ख	0.008
606/1/क/2/ग	0.008
606/1/क/2/घ	0.008
606/1/क/2/ड.	0.004
606/1/क/2/च	0.004
606/1/क/2/छ	0.004
606/1/क/2/ज	0.004
606/1/क/2/झ	0.004
606/1/क/2/ञ	0.004
606/1/क/2/ट	0.004
606/1/क/2/ठ	0.004
606/1/क/2/ड	0.004
606/1/क/2/ढ	0.004
606/1/क/2/ण	0.004
608/2	0.044
612/2/क	0.055
612/2/ख	0.037
465/4/ख	0.020
निजी खाता भूमि योग रकवा	0.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–सतना–रीवा (50 कि0मी0) रेल लाईन दोहरीकरण हेतु रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 06 जून 2019

क्र.–6077–भू–अर्जन–2019–प्र.क्र. 09–अ–82–2018–19. – चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–उज्जैन

(ख) तहसील–उज्जैन

(ग) कस्बा–उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा–4.452 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में) (2)
2331 मिन	0.062
2332/1	0.303
2332/2	0.439
2332/3	0.334
2333 मिन	0.300
2334 मिन	0.076
2390	0.042
2391	0.136
2393/1	0.167
2393/2	0.094
2394	0.073
2395	0.314
2396	0.052
2397	0.491
2398	0.408 एवं मोबाईल टावर –3
2399	0.125
2382	0.125
2400	0.031

(1)	(2)
2331 मिन	0.011
2333 मिन	0.038
2333 मिन	0.046
2333 मिन	0.046
2333 मिन	0.046 एवं ट्यूबवेल 1 बंद
2333 मिन	0.046
2333 मिन	0.074
2417/2 मिन	0.063
2417/2 मिन	0.071
2417/2 मिन	0.142
2418/2	0.010
2424	0.021
2425	0.157
2417/1	0.058
2418/1	0.021
2421	0.030 एवं कुआं–1
2333	कुआं–1
2334	मकानात–6 (1) कृष्णाबाई पति सालगराम 22x50 वर्गफीट (2) शंकरलाल पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट (3) ममता चौहान पति कमल चौहान 20x50 वर्गफीट (4) शोभाबाई पति हेमराम 20x50 वर्गफीट (5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट (6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट
योग . .	4.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.–6078–भू–अर्जन –2019–प्र.क्र–10–अ–82– 2018–19. – चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–उज्जैन
(ख) तहसील–उज्जैन
(ग) कस्बा–उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा–0.175 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2119/3/2	0.175 (नीम–8, सुरजना–2, बिल्व पत्र–2, सेतुस–1, पीपल–1, फूलदार वृक्ष–5)
योग . .	0.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 16 जुलाई 2019

क्र.–7776–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा द्वारा ग्राम जामनिया की उपनहर चेन क्रमांक 87 के निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 1913) की धारा–11 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की शासकीय प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–हरदा
(ख) तहसील–हरदा
(ग) नगर/ग्राम–जामनिया
(घ) क्षेत्रफल–1.710 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण
(1)	(2)	(3)
32/13, 32/14	0.473	कृषि भूमि सिंचित
33/2	0.173	कृषि भूमि सिंचित
33/3	0.345	कृषि भूमि सिंचित
33/1	0.641	कृषि भूमि सिंचित
योग रकबा निजि भूमि	1.632	
	शासकीय भूमि का रकबा	
1	0.078	शासकीय भूमि नाला
कुल योग शासकीय +अशासकीय भूमि	1.710 हेक्टेयर	—

(2) प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है – जल संसाधन विभाग, हरदा को उपनहर चेनल क्रमांक 87 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के द्वारा किया जा चुका है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. विश्वनाथन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जुलाई 2019

क्र.–5199–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील–बिछुआ
(ग) नगर/ग्राम–झामटा, प0ह0नं. – 03, ब.नं. –150 रा.नि.मं. बिछुआ
(घ) प्रस्तावित क्षेत्रफल–16.777 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.040
224	0.314
225	0.413
226	0.589
220/1	0.529
220/4	0.355
221	0.656
223	0.451
237/1	0.305
222	0.991
220/2	0.259
220/5	0.185
220/3	0.259
220/6	0.186
236	0.668
219	0.971
248/1	0.520
248/2	0.487

(1)	(2)
154/1	0.392
155/9	0.422
155/16	0.220
155/5	0.448
155/8	0.445
155/6	0.608
155/7	0.111
164	0.987
165/1	0.354
166	0.404
216/2	0.208
217/4	0.202
217/8	0.250
216/3	0.209
217/5	0.190
217/7	0.176
216/1	0.072
216/4	0.373
217/6	0.140
217/9	0.253
215	0.570
214/2	0.442
213	01.123
कुल रकबा योग . .	16.777

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :– झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http:// www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, तहसील– चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र.–5200–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील–बिछुआ

(ग) नगर/ग्राम–आमाकुही, प0ह0नं. – 24, ब.न. –10 रा. नि.मं–बिछुआ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल–कुल रकबा 07.420 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/7	0.101
29/4	0.202
70	0.455
71	0.809
68/1	0.259
69	0.599
68/2	0.259
67	0.551
66	0.886
72	0.729
74	0.600
75/5	0.693
75/1	0.270
75/3	0.571
32/4	0.040
32/1	0.216
32/2	0.180
कुल रकबा योग. .	07.420

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :– झामटा जलाशय (नहर रहित) बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http:// www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, तहसील– चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र.–5201–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील–बिछुआ
(ग) नगर/ग्राम–आमाकुही, प0ह0नं. – 24, ब.न. –10 रा.नि.मं–बिछुआ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल– 0.453 हेक्टेयर एवं क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/1	0.172
198/1	0.054
197/2	0.057
198/2	0.019
197/3	0.057
198/3	0.018
197/4	0.014
198/4	0.005
197/5	0.014
198/5	0.005
197/6	0.015
198/6	0.004
197/7	0.015
198/7	0.004
योग. .	0.453

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :– कुड्डम नम्बर–2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http:// www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, तहसील– चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायलय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र.–5214–भू–अर्जन–2019.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील–बिछुआ
(ग) नगर/ग्राम–बिछुआ, प०ह०नं. – 28, ब.न. –271 रा.नि.मं–बिछुआ.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल–0.571 हेक्टेयर. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
447/1	0.083
447/2	0.082
447/3	0.082
448	0.324
योग. .	0.571

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :– कुड्डम नम्बर–2 जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:// www. chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http:// www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू–अर्जन अधिकारी, तहसील– चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालय यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 24 जुलाई 2019

प्र.क्र.–03––अ–82–17–18.– चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला–सीहोर
(ख) तहसील–बुधनी
(ग) नगर/ग्राम–माना
(घ) क्षेत्रफल–6.629 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	3.544
7/2	2.676
14	0.409
कुल किता 03	कुल रकवा 6.629

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – तीसरी रेल लाईन हेतु भूमि–अर्जन

भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.